न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 118/2019

निर्णय दिनांकः– 09.04..2021

उनवान

1. कैलाशी पत्नी रमेश जाति मीना निवासी कासपुरिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. भंवर देवी पत्नी हरफुल जाति मीना निवासी कासपुरिया तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री मस्तराम मीना वकील प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 41 ख0न0 69 रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ख0न0 134/61 व ख0न0 70/124 के बीच होते हुए अपने खातेदारी की भूमि पर आते चले आ रहे है। तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। गांव के कुछ असामाजिक तत्वों सरकारी सिचाई चक भूमियों पर अतिक्रमण करते है तथा उक्त आराजी सिवाई चक मे दर्ज होने के कारण जबरन कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 69 रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील उनियारा मे आने जाने के लिए ख0न0 134/61 व ख0न0 70/124 के बीच होते हुए अपने हुए 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में उक्त आराजी सिवाई चक होने से प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मोके पर प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में मौके पर ख0न0 69 पर रास्ता चाहा गया है। उक्त ख0न0 पर मौके पर कोई रास्ता दर्ज रिकार्ड नही है। ख0न0 134/61 एवं 60/124 सिवाय चक मे से होकर रास्ता बना हुआ है। जिसपर से प्रार्थी वर्तमान मे आते जाते है। किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है।

251a.158

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 41 ख0न0 69 रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से ख0न0 134/61 व ख0न0 70/124 के बीच होते हुए अपने खातेदारी की भूमि पर आते चले आ रहे है। अतः ख0न0 134/61 व ख0न0 70/124 के बीच होते हुए 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम राजपुरा ख0न0 69 रकबा 3.15 है0 प्रार्थीगण नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। ख0न0 134/61 एवं 60/124 सिवाय चक मे से होकर रास्ता बना हुआ है। जिसपर से प्रार्थी वर्तमान मे आते जाते है। किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है। वर्तमान में उक्त आराजी में रास्त दर्ज रिकार्ड नही होने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 69 रकबा 3.15 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील उनियारा पर जाने हेतु ख0न0 134/61 एवं 60/124 मे से होते हुए अपने हुए 4 मीटर रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि राजकीय भूमि होने से राजकोष मे जमा करावें। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थीगण के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

251a.159